

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

पत्रांक 390/372

पटना दिनांक 01/04/2025

ग्रा०वि०-08 लोकपाल (अवधि विस्तार) 03/2025

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत निम्न सात जिलों के निवर्तमान लोकपाल (मनरेगा) के कार्यकाल की दो वर्षीय एवं प्रथम एक वर्षीय अवधि पूरी होने के पश्चात द्वितीय एकवर्षीय अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करते हुए एक सप्ताह के अंदर योगदान करने का निदेश दिया जाता है :-

क्रम	जिला	नाम
1	औरंगाबाद	श्री राजेश कुमार राय
2	पूर्णियाँ	श्री अशोक कुमार साह
3	भोजपुर	श्री शिव कुमार ठाकुर
4	मुंगेर	श्री निरंजन चन्द्र नंदी
5	मुजफ्फरपुर	श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव
6	रोहतास	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह
7	वैशाली	श्री राकेश कुमार

2. योगदान की तिथि से द्वितीय एक वर्षीय अवधि विस्तार प्रभावी होगा ।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(प्रमोद कुमार राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 390/372

पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 370/372

पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद, पूर्णियाँ, भोजपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 390/372

पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:-संबंधित निवर्तमान लोकपाल, औरंगाबाद, पूर्णियाँ, भोजपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ymk
01/04/25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 390/372

पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRDS /आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ymk
01/04/25
सरकार के अवर सचिव